कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

64 वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी (छात्र—छात्रा) प्रतियोगिता (सत्र 2019—20) के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जा रहा है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित करें।

विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु खेल समूह बनाये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं:—

प्रथम समूह			द्वितीय समूह		
कबड्डी	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	हॉकी	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
खो—खो	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	हैण्डबाल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
बैडमिण्टन	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	फुटबाल	14 वर्ष	छात्र
सॉफ्टबाल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	जिम्नास्टिक	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
कुश्ती	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	तैराकी	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
वॉलीबाल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	बास्केटबाल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
टेबल टेनिस	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	लॉन टेनिस	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
जूडो	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	क्रिकेट	14 वर्ष	छात्र

तृतीय समूह

एथलेटिक्स	14 वर्ष	छात्र—छात्रा

प्रतियोगिताएं निम्न तिथियों के अनुसार आयोजित की जावेगी :—

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	16 अगस्त से पूर्व	01.09.2019 से 05.09.2019 (अधिकतक 04 दिन)	13.09.2019 से 18.09.2019
द्वितीय समूह	16 अगस्त से पूर्व	05.09.2019 से 09.09.2019 (अधिकतक 04 दिन)	21.09.2019 से 26.09.2019
तृतीय समूह	16 अगस्त से पूर्व	01.10.2019 से 04.10.2019 (अधिकतक 04 दिन)	11.10.2019 से 16.10.2019

प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएं दिनांक 25.09.2019 से 27.09.2019 तक केवल जिला स्तर पर मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित की जावेगी। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृतियां कार्यक्रम विद्यालय/क्षेत्रिय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका, 2009—10 के अनुसार जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवायें ।

नोटः— उक्त जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से पूर्व ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं आवश्यकतानुसार आयोजित करवायी जावें। ये प्रतियोगिताएं दिनांक 22.09.2019 से 24.09.2019 तक आयोजित करें।

www.rajteachers.com

सत्र 2019–20 की राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक (14 वर्ष आयुवर्ग) विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजक विद्यालयों के नाम एवं स्थान परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है । सत्र 2019–20 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु प्रारंभिक शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 में निर्दिष्ट नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी।

<u>सत्र 2019–2020 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते है:–</u>

1. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारत तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्युनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रिय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात् एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलो में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।
2. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्रॉज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2018–19 की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिणाम परिशिष्ठ–2 पर संलग्न किये जा रहे है।
3. सत्र 2019–20 की छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभिक शिक्षा विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 एवं उसके पश्चात् जारी संशोधन परिवर्तन में दर्शाये गये नियमों, निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे।
4. विशेष विद्यालय जैसे सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यालय, खेल छात्रावास के विद्यालय, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेल छात्रावास एवं उनके द्वारा अधिग्रहित विद्यालय संबंधित जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग न लेकर सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगें। उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि जो खिलाड़ी जिस खेल में इन विद्यालयों में प्रवेश लेता है वह अपने संबंधित खेल में ही भाग लेवें। इन विद्यालयों के अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ी अपरिहार्य कारणें से प्रतियोगिता में भाग न ले सके तो चयन समिति की अभिशंषा पर निर्धारित संख्या के अलावा इनका नाम पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित किया जाता है तो निर्धारित संख्या में सम्मिलित होगें। विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर अपने प्रशिक्षक एवं प्रधानाचार्य की अभिशंषा पर चयन परीक्षण हेतु उपस्थित होगें।

www.rajteachers.com

5. निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में अगर सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त विद्यालय भाग लेते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रतियोगिता शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। उक्त विद्यालयों के खिलाड़ी/ छात्र–छात्रा के चयन पूर्व राज्य/राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं चयन परीक्षण के लिये होता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा अन्यथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी वर्ष की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
6. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प0 15(1)शिक्षा–6/99 जयपुर दिनांक 27–9–99 के अनुसार संस्कृत. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निहित प्रवेशिका एवं उपाध्याय छात्र–छात्रा खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं पूर्व व्यवस्थानुसार संस्कृत विभाग द्वारा पृथक से आयोजित करवाई जावेगी।
7. टेबल–टेनिस की प्रतियोगिताएं न्यू स्वेथलिंग कप के आधार पर आयोजित होगी। टेबल–टेनिस एवं बैडमिण्टन में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु दलीय स्पर्द्धा के क्वाटर फाईनल में पहुंचने वाले दलों के तीन–तीन खिलाड़ी एवं सेमीफाईनल में पहुचने वाले दलों के पांचों खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्द्धा में भाग ले सकेगें। अन्य दलों से पूर्व की भांति एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्द्धा में भाग ले सकेगा। व्यक्तिगत स्पर्द्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाडियों को सीडिंग दी जावे। ड्राज दलीय स्पर्द्धा में सेमीफाईनल पहुंचने वाले दलों का निर्धारण होने के बाद डाली जावे। क्वाटर फाईनल एवं सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावे। उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डालते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि सेमीफाईनल पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमीफाईनल से पहले मैच न हो सके।
8. निदेशक महोदय के आदेश कमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/08–11/124 दिनांक 15.06.2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग विद्यालयी 'क्रीड़ा प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 के पृष्ठ 24 पर उल्लेखित नियम 10.3.5 में दर्शाये गये खेलों में विजेता दल के अधिकतम संख्या में चयन को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता हैं। सत्र 2014–15 से जिला स्तरीय खेल दल का गठन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु खुली चयन प्रणाली से किया जायेगा। शेष नियम यथावत रहेगें।

एथलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, जूडो तथा जिम्नास्टिक व्यक्तिगत स्पर्द्धा के खेल हैं। एथलेटिक्स व तैराकी में छात्र–छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्द्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय व रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूडो के प्रत्येक भार में प्रथम आने वाला व जिम्नास्टिक में कुल अंको के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेंगें। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा, शिविर

www.rajteachers.com

संचालक, टीम प्रभारी एवं चयन समिति का होगा। मानदण्ड पूरा न करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मैरिट प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।

9. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के चयनित खिलाड़ियों का विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/2008–10/85 दिनांक 10.5.2010 के अनुसार मेडिकल परीक्षण करवाने के पश्चात मेडिकल प्रमाण–पत्र सहित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम भेजने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी.(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा का होगा।

10. जिला स्तरीय चयन पश्चात् राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व तीन दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। यह आवासीय प्रशिक्षण शिविर जिले की विजेता टीम के विद्यालय में लगाया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा अपने स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का स्थल परिवर्तित कर सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर का वहन यथा यात्रा/दैनिक भत्ता आदि का वहन चयनित खिलाड़ियों के विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर छात्र कोष से वहन किया जावेगा।

11. खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण–पत्रों की संबंधित शारीरिक शिक्षक/अध्यापक व संस्था प्रधान भली–भांति जॉच कर प्रवेश रजिस्टर से मिलान करें, यथा छात्र की जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, कक्षा, प्रवेश क्रमांक मिलान करने के पश्चात ही संस्था प्रधान योग्यता प्रमाण–पत्र प्रमाणित करें । विभिन्न स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा भाग लेने/मैरिट प्रमाण–पत्र संस्था द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर तैयार किये जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण–पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि व नाम आदि में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

12. योग्यता प्रमाण–पत्र में विद्यालय का पूर्ण पता अंकित होना अनिवार्य है ताकि पत्र प्रेषण में कठिनाई न हो ।

13. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजक संस्था प्रधान समस्त प्रकार के प्रतियोगिता अभिलेखों की एक प्रति अपने विद्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकतानुसार चाही गई सूचना संस्था विद्यालय अभिलेख से मिलान करके दे सकें।

14. जिलों की टीम के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षकों को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो संबंधित शारीरिक शिक्षक खेल भावना का परिचय देते हुए निर्णायक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन पश्चात् अपने जिले की समस्त खेलों की प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारुप में जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से निम्न प्रपत्र में भिजवावें :–

क्र.सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी खिलाडी संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.rajteachers.com

16. ज़िला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संभागित्व एवं मैरिट प्रमाण–पत्र प्रतियोगिता स्थल पर ही खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किये जावें। जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा एवं संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा इसकी सुनिश्चितता अवश्य करें। उक्त प्रमाण–पत्र खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण–पत्र की फोटो से मिलान करने के पश्चात् प्रतिपर्ण पर खिलाड़ी के हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे।. मैरिट प्रमाण–पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जावे। व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्द्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैरिट प्रमाण–पत्र दिये जावें। कुश्ती एवं जूडो में सेमीफाईनल में रेपीचार्ज पद्धति होने से सेमीफाईनल में हारने (बाउट हारने) वाले प्रतियोगी को तृतीय स्थान का मैरिट प्रमाण–पत्र देय होगा ।

17. सभी स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्रा टीम के साथ महिला शारीरिक शिक्षिका / अध्यापिका को ही भेजा जावे।

18. एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती एवं तैराकी में राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों में आयोजित स्पर्द्धाओं के अनुरूप ही जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इनकी स्पर्द्धाएं करवायी जावे। इस हेतु निर्धारित स्पर्द्धाएं एवं मानदण्ड इस खेल पंचांग में आगे दर्शाये गये हैं। तद्नुसार प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जावे।

19. सत्र 2010–11 में कबड्डी खेल विद्या की क्षेत्रीय / जिला / राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इण्डिया के संशोधित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी जो सभी उप निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा को इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा / प्रारं / खेकू / स्वाशि / 7551 / 2008–09 / दिनांक 16.07.2010 के द्वारा पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

20. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात् निदेशालय भेजा जाने वाला समस्त रिकार्ड कम्प्युट्राइज करवाकर अनिवार्य रूप से 15 दिवस में वाहक स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

21. प्रतियोगिता में परिवाद प्रस्तुत होने पर सक्षम जिला / राज्य स्तरीय परिवाद समिति द्वारा यथा समय निर्णय दिया जाये। निदेशालय को प्ररिवाद प्रकरण नहीं भेजें। इसे गम्भीरता से लें।

नोटः–

1. जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में ऐथलेटिक्स / तैराकी / कुश्ती / टेबल–टैनिस / बैडमिण्टनएवं जिम्नास्टिक सहित सभी खेलों में चयन समिति नियुक्त की जावे।
2. राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में आवश्यकतानुसार निर्णायक निदेशालय द्वारा पूर्व की भांति लगाये जायेगें।
3. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो चयन समिति बनाई जावेगी वह प्रतियोगिता स्थल पर चयनित खिलाडी घोषित न करके पूर्ण रूप से गोपनीयता रखते हुए बन्द लिफाफे में निदेशालय को वाहक के साथ भेजेगें। डाक द्वारा प्रतियोगिता संबंधी रिकार्ड नही भिजवाये, इसकी कठोरता से पालना की जावें।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु बनाई जाने वाली सूची में चयन समिति की नजर में यदि कोई खिलाड़ी 14 वर्ष से अधिक का प्रतीत होता हो तो उसका चयन नहीं करें। प्रतिवाद की स्थिति में संयोजक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस खिलाड़ी की मेडिकल जांच करवाये।

www.rajteachers.com

5. क्रिकेट छात्र 14 वर्ष की प्रतियोगिता में नॉक आउट पद्धति द्वारा खेली जावेगी, प्रत्येक मैच 20 ओवर का होगा एवं सेमीफाईनल व फाईनल 25–25 ओवर के होगें। प्रतियोगिता संचालन एम0सी0सी0 के नियमानुसार होगा।
6. प्रायः यह देखने में आया है कि जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान अत्याधिक मात्रा में सामान्य अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां कर दी जाती है जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। अतः आवश्यकतानुसार ही प्रतिनियुक्तियां की जावे। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों की सेवाऐं ली जावे।
7. प्रत्येक विद्यालय को जिला स्तर पर कम से कम एक खेल में भाग लेना अनिवार्य है। यदि जिले का कोई विद्यालय खेलों में भाग नहीं लेता है तो उस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/प्रधानाध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
8. इस कार्यालय द्वारा प्रसारित शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं साहित्यक/सांस्कृतिक प्रवृतियां नियमावली एवं मार्गदशिका 2009–10 में उल्लेखित नियम–09 (9.1.1 से 9.1.1.4.2) खिलाड़ी पात्रता नियम, चेक लिस्ट एवं पात्रता योग्यता प्रमाण–पत्र सत्र 2018–19 में होने वाली क्षेत्रिय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र–छात्रा खिलाड़ियों के हितों को ध्यान मे रखते हुए संभागी खिलाड़ियों के पात्रता नियमो में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है :–

क्र. सं	नियमावली नियम संख्या	नियम पृ0संख्या	संशोधन/परिवर्तन
01	2009–10	19–21	01–कक्षा 03 से 05 तक के छात्र–छात्रा जिला/राज्य स्तर तक पूर्व की भॉति भाग ले सकेगे, लेकिन कक्षा 06 से नीचे की कक्षा के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगें, कक्षा 06 से ऊपर की कक्षा के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। 02– 14 वर्ष छात्र–छात्रा प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर) में खिलाड़ी की आयु प्रमाण–पत्र हेतु निम्नांकित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं :– 01– आधार कार्ड /पासपोर्ट (दोंनों में से एक 02–जन्म प्रमाण–पत्र (पं.स./नगर पालिका/नगर निगम द्वारा जारी) 03–गत वर्ष की उतीर्ण कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण–पत्र उपरोक्त मे से कोई दो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसको सम्बद्ध प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेने के लिए अपात्र किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा ।
03	2009–10	19–21	किसी भी कक्षा मे दो वर्ष से अनुतीर्ण/ठहराव वाले छात्र–छात्रा किसी भी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगें ।

9. उपरोक्तानुसार समस्त संशोधन तथा शेष नियम निर्देश यथावत के साथ राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्ष छात्र–छात्रा सत्र 2019–2020 के आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान निम्नानुसार है :–

(प्रथम समूहः– 13.09.2019 से 18.09.2019)

क्र. सं.	खेल का नाम	छात्र–छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	कबड्डी	छात्र–छात्रा	राउप्रावि,भाखरवाला बेरा लालसर फतेहगढ देचू जोधपुर
2.	खो–खो	छात्र–छात्रा	रा0उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय छीलावाली श्रीमाधोपुर सीकर
3.	बैडमिण्टन	छात्र–छात्रा	ए.एन पब्लिक स्कूल राधा स्वामी बाग चौमू गोविन्दगढ जयपुर
4.	सॉफ्टबॉल	छात्र–छात्रा	राबाउप्रावि,मेघवाल बस्ती सूरसागर जोधपुर
5.	कुश्ती	छात्र	विवेकानन्द राप्रावि,सूरजप्रोल भीलवाडा कांकरोली राजसमंद
6.	वॉलीबाल	छात्र–छात्रा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला केकडी अजमेर
7.	टेबल टेनिस	छात्र–छात्रा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा जिला बून्दी
8.	जूडो	छात्र–छात्रा	विवेकानन्द राप्रावि,सूरजप्रोल भीलवाडा कांकरोली राजसमंद

(द्वितीय समूहः– 21.09.2019 से 26.09.2019)

क्र. सं.	खेल का नाम	छात्र–छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	हॉकी	छात्र–छात्रा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं0 01 सूरौठ हिण्डोन करौली
2.	हैण्डबॉल	छात्र–छात्रा	रा.उ.प्राथमिक विद्यालय खुडखुडा खुर्द पं0सं0 मूण्डवा जिला नागौर
3.	फुटबॉल	छात्र	रा.उ.प्रा. विद्यालय नं0 02 चूली गेट गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर
4	जिनमास्टिक	छात्र–छात्रा	रा.उ.प्रा.वि., बंगाली कॉलोनी, छावनी जिला कोटा
5.	तैराकी	छात्र–छात्रा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सर्राफा बाजार जोधपुर
6.	बास्केटबॉल	छात्र–छात्रा	माउन्ट लिटेरा जी स्कूल अलवर
7.	लॉन–टेनिस	छात्र–छात्रा	दी उम्मेद इन्टरनेशनल स्कूल वासड,आबूरोड
8.	क्रिकेट	छात्र	न्यू लाईफ मा0विद्यालय इन्दिरा कॉलोनी बांसवाडा

(तृतीय समूह :– 11.10.2019 से 16.10.2019)

क्र.सं..	खेल का नाम	छात्र–छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	एथलेटिक्स	छात्र–छात्रा	राउप्रावि,बृजलाल नगर मालपुरा टोंक

तैराकी के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड
(एसजीएफआई द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होगें)

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड(छात्र)	मानदण्ड(छात्रा)
1	फ्री स्टाईल 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
2.	बटर फ्लाई 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
3.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
4.	बैक स्ट्रोक 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
5.	फ्री स्टाईल 100 मीटर	1.45 मिनट	2.35 मिनट
6.	फ्री स्टाईल 200 मीटर	3.30 मिनट	5.30 मिनट
7.	व्यक्तिगत मैडले 200 मीटर	3.50 मिनट	6.45 मिनट
8.	बैक स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.10 मिनट
9.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.30 मिनट
10.	बैक स्ट्रॉक 200 मीटर	4.00 मिनट	6.30 मिनट
11.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 200 मीटर	4.50 मिनट	6.40 मिनट
12.	बटर फ्लाई 100 मीटर	1.50 मिनट	2.10 मिनट
13.	फ्री स्टाईल 4गुणा 100 मीटर	9.45 मिनट	12.00 मिनट
14.	मेडले रिले 4गुणा 100 मीटर	10.00 मिनट	12.00 मिनट
15	बटर फलाई 200 मीटर	04.30 मिनट	06.25 मिनट

एथलेटिक्स के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड
(एसजीएफआई द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होगें)

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
1.	100 मीटर दौड़	13.50 सैकण्ड	15.00 सैकेण्ड
2.	200 मीटर दौड़	29.00 सैकण्ड	34.00 सैकेण्ड
3.	400 मीटर दौड़	1.00 मिनट	1.15 मिनट
4.	600 मीटर दौड़	1.40 मिनट	1.55 मिनट
5.	80 मीटर बाधा दौड़	15 .00 सैकेण्ड	17.00 सैकेण्ड
6.	ऊँची कूद	1.40 मीटर	1.15 मीटर
7.	लम्बी कूद	5.00 मीटर	4.00 मीटर
8.	गोला फैंक(4 किलो)	10.00 मीटर	7.00 मीटर
9.	तश्तरी फैंक(1 किलो)	28.00 मीटर	17.00 मीटर
10.	रिले दौड़ (4गुणा 100मीटर)	54.00 सैकेण्ड	1.50 सैकेण्ड

www.rajteachers.com

(कुश्ती (छात्र) एवं जूडो (छात्र–छात्रा) 14 वर्ष आयुवर्ग हेतु निर्धारित वजन)

क्र.सं.	कुश्ती	जूडो	
	छात्र	छात्र	छात्रा
1	32 किलो	25 किलो	23 किलो
2	35 किलो	30 किलो	27 किलो
3	38 किलो	35 किलो	32 किलो
4	41 किलो	40 किलो	36 किलो
5	45 किलो	45 किलो	40 किलो
6	49 किलो	50 किलो	44 किलो
7	55 किलो	50 किलो	44 किलो
8	60 किलो	–	–
	कुल वजन–8	कुल वजन–7	कुल वजन–7
	विजेता पहलवान वजन वार	वजन वार एक विजेता	वजन वार एक विजेता

सभी खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें रेल्वे कन्सेशन का लाभ लेते हुए जहॉ रेल्वे की आवगमन की सुविधाएं हैं उसी से ही यात्रा करें, जहॉ पर रेल की सुविधा नहीं है उसी स्थान के लिए बस की रियायती दर से यात्रा करें। विभाग द्वारा जहॉ रेल सुविधाएं है उसी अनुरूप कन्सेशन दर से किराया देय होगा।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा इन आदेशों को अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शीघ्रतिशीघ्र प्रसारित करें। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का स्थान निर्धारित अपने जिले का खेल पंचांग शीघ्र जारी कर अधीनस्थ विद्यालयों में प्रसारित कर इस कार्यालय को प्रति भिजवावें।

आशान्वित हूँ कि जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा।

(ओम कसेरा)
IAS
निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज(प्रा0शि0) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पंचाग/2019–20/ दिनांकः 22/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

www.rajteachers.com

7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्कृत शिक्षा विद्यालयों की प्रतियोगिता पृथक से पूर्व व्यवस्थानुसार करवाई जावे।
8. उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–6 विभाग, जयपुर
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को 11 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम को उपर्युक्त प्रचार–प्रसार हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों/विद्यालयों को अविलम्ब कराने का श्रम करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा।
12. प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविधालय, जोधपुर।
13. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
14. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (निजी अनुभाग), बीकानेर।
15. सहायक निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जोधपुर/अलवर।
16. समस्त केन्द्राधिक्षक एवं संस्था प्रधान सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र।
17. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को शिविरा के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।
18. समस्त संयोजक सचिव/संस्था प्रधान, आयोजक राज्य स्तरीय विद्यालयी प्रतियोगिता।
19. समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि) सम्बन्ध कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।
20. समस्त संस्था प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये विद्यालय।
21. संस्था प्रधान खेल छात्रावास वोकेशनल मावि, कोटा/नूतन सीमावि, बांसवाड़ा।
22. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण कार्यालय हाजा को शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
23. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश राठौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

परिशिष्ठ–2

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्र सत्र 2018–2019

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ट्म	सप्तम्	अष्ट्म
1.	कबड्डी	हनुमानगढ	अलवर	अजमेर	सीकर	टोंक	श्रीगंगानगर	राजसंमद	जोधपुर
2.	हॉकी	हनुमानगढ	जोधपुर	भीलवाडा	अलवर	श्रीगंगानगर	उदयपुर	नागौर	धौलपुर
3.	हैण्डबॉल	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ	सीकर	उदयपुर	नागौर	बाडमेर	भीलवाडा	कोटा
4.	फुटबॉल	उदयपुर	हनुमानगढ	जोधपुर	कोटा	जयपुर	सवाईमाधोपुर	अजमेर	भीलवाडा
5.	टेबलटेनिस	कोटा	बीकानेर	टोंक	अलवर	जोधपुर	जयपुर	झुन्झूनू	उदयपुर
6.	बॉलीबॉल	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	खो–खो	हनुमानगढ	अलवर	नागौर	भीलवाडा	झुन्झूनु	श्रीगंगानगर	पाली	टोंक
8.	बैडमिण्टन दलीय	जोधपुर	बीकानेर	उदयपुर	टोंक	भरतपुर	जयपुर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ
9.	बैडमिण्टन एकल	जोधपुर	बीकानेर	उदयपुर	टोंक	भरतपुर	जयपुर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ
10.	क्रिकेट	कोटा	सीकर	श्रीगंगानगर	अजमेर	बाडमेर	बीकानेर	हनुमानगढ	जयपुर
11.	बास्केटबॉल	सीकर	जैसलमेर	भीलवाडा	हनुमानगढ	जयपुर	अजमेर	श्रीगंगानगर	कोटा
12.	जिम्नास्टिक	अलवर	जोधपुर	बीकानेर	अजमेर	नागौर	उदयपुर	जयपुर	पाली
13.	सॉफ्टबॉल	बीकानेर	जोधपुर	अजमेर	सीकर	सिरोही	जयपुर	भरतपुर	नागौर
14.	लॉन टेनिस दलीय	जोधपुर	जयपुर	अजमेर	बीकानेर	अलवर	टोंक	कोटा	उदयपुर

परिशिष्ठ–2

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्रा सत्र 2018–2019

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ट्म	सप्तम्	अष्ट्म
1.	कबड्डी	हनुमानगढ	नागौर	सीकर	जयपुर	चित्तौडगढ	बाडमेर	श्रीगंगानगर	राजसंमद
2.	हॉकी	हनुमानगढ	भीलवाडा	श्रीगंगानगर	अलवर	सीकर	उदयपुर	जोधपुर	चित्तौडगढ
3.	हैण्डबॉल	श्रीगंगानगर	बाड़मेर	हनुमानगढ	चुरू	नागौर	चित्तौडगढ़	अजमेर	झुन्झूनू
4.	टेबलटेनिस दलीय	बीकानेर	जोधपुर	अजमेर	अलवर	सीकर	चुरू	भीलवाडा	
5.	बॉलीबॉल	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	खो–खो	हनुमानगढ	सीकर	भीलवाडा	अजमेर	बीकानेर	श्रीगंगानगर	जालौर	टोंक
7	बैडमिंटन दलीय	जयपुर	अलवर	टोंक	उदयपुर	जोधपुर	चित्तौडगढ़	कोटा	अजमेर
8	बैडमिंटन एकल	जयपुर	अलवर	टोंक	उदयपुर	जोधपुर	चित्तौडगढ़	कोटा	अजमेर
9.	बास्केटबॉल	हनुमानगढ़	जयपुर	भीलवाडा	सीकर	अजमेर	कोटा	उदयपुर	बीकानेर
10.	जिम्नास्टिक	जोधपुर	अजमेर	अलवर	नागौर	बीकानेर	उदयपुर	श्रीगंगानगर	भीलवाडा
11.	सॉफ्टबॉल	बीकानेर	नागौर	जोधपुर	श्रीगंगानगर	भीलवाडा	अजमेर	उदयपुर	सीकर
12.	लॉन टेनिस दलीय	जयपुर	कोटा	टोंक	उदयपुर	अजमेर	बीकानेर	सीकर	जोधपुर

www.rajteachers.com

(कैलाश राठौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर